नीलामी सूचना,

कार्यालय जनपद न्यायाधीश, प्रतापगढ़।

एतद्द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद न्यायालय प्रतापगढ़ में एफ0टी0सी0 ब्लॉक के बगल निर्मित शीर्ष जलाशय (OHT) का ध्वस्तीकरण करके उसके मलबे को हटाने हेतु नीलामी प्रकिया दिनांक 21.06.2025 को समय दोपहर 01.00 बजे केन्द्रीय नजारत, जनपद न्यायालय प्रतापगढ़ के सामने नियत कमेटी के समक्ष होना है।

अतः समस्त इच्छुक व्यक्ति नियत तिथि, समय व स्थान पर उपस्थित होकर नीलामी में भाग ले सकते हैं। नीलामी में भाग लेने वाले इच्छुक व्यक्ति किसी भी तरह की जानकारी हेतु केन्द्रीय नाजिर, नजारत अनुभाग, जनपद न्यायालय प्रतापगढ़ से किसी भी कार्य दिवस में समय प्रातः 06.30 बजे से 02.00 बजे सम्पर्क कर सकते हैं तथा नीलाम होने वाले जीर्ण–शीर्ण शीर्ष जलाशय (OHT) का निरीक्षण कर सकते हैं।

शर्तें एवं प्रतिबन्ध

1. नीलामी में बोली की न्यूनतम धनराशि मु0 13,716.10 रूपये नियत की गई है। बोली बोलने वाले प्रत्येक व्यक्ति को **4,000/– रूपये** सिक्योरिटी के रूप में बोली बोले जाने से पूर्व जमा करना होगा। जिस व्यक्ति का सिक्योरिटी धनराशि जमा होगी, वही व्यक्ति बोली में भाग ले सकता है।

2. जीर्ण–शीर्ण शीर्ष जलाशय (OHT) के ध्वस्तीकरण के दौरान न्यायालय भवन की दीवार, चहारदीवारी आदि की कोई क्षति न हो, यदि कोई क्षति होती है, तो इसकी क्षतिपूर्ति नीलामी प्राप्तकर्ता के द्वारा की जायेगी।

3. जिस व्यक्ति द्वारा सर्वाधिक धनराशि की बोली, बोली जायेगी, उसे माननीय जनपद न्यायाधीश द्वारा नीलामी अनुमोदित होने के पश्चात् नीलामी की सम्पूर्ण धनराशि का 1/3 भाग तुरन्त जमा करना होगा। शेष धनराशि एक सप्ताह के अन्दर जमा करना होगा, तत्पश्चात् मलबा हटवा सकते हैं।

4. नीलामी प्राप्तकर्ता को जीर्ण–शीर्ण शीर्ष जलाशय (OHT) को गिराकर उसके सम्पूर्ण मलबे को 15 दिन के अन्दर अपने खर्चे पर हटाना होगा।

5. नीलामी प्राप्तकर्ता को मलबा हटाने हेतु कोई अतिरिक्त समय देय नहीं होगा।

6. माननीय जनपद न्यायाधीश, प्रतापगढ़ उचित बोली न होने पर नीलाम की तिथि बढ़ा सकते हैं।

7. माननीय जनपद न्यायाधीश, प्रतापगढ. नीलामी को बिना कारण बताये हुए रद्द कर सकते हैं या कोई अन्य आदेश पारित कर सकते हैं, जो सभी को मान्य होगा।

8. अन्तिम आदेश माननीय जनपद न्यायाधीश, प्रतापगढ़ का होगा ।

ह0	ह0	ह0
सदस्य	सदस्य	अध्यक्ष, नीलामी कमेटी
सुनीता सिंह नागौर	**अजय कुमार–।**	**बाबूराम**
अपर जिला जज/एफ0टी0सी0	अपर जिला जज, कक्ष सं0–2	विशेष न्यायाधीश (एस0सी0/एस0टी0 एक्ट)
प्रतापगढ़।	प्रतापगढ़	प्रतापगढ़।

प्रतिलिपि जिला न्यायालय प्रतापगढ़ की वेब साइट, बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, तहसील प्रांगण, दीवानी न्यायालय के मेन गेट पर, बाजार में, नजारत कुण्डा एवं नजारत प्रतापगढ, जिलाधिकारी, प्रतापगढ़ कार्यालय में सूचनार्थ चस्पा की जाए तथा निःशुल्क प्रकाशन हेतु अखबार को भेजी जाए।